

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के बान से ही किया जाते जैसे कि विद्यार्थी अब प्रश्नपत्रिका के बास हैं। सम्बद्धित विषय पर यदि पूर्ण में पञ्च व्यवहार कुआ हो तो पञ्च क्रांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाते लिखने सहित हो।



आम : गृहीतिंगी
दूरध्वाप : (0751) 2341895
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4546

दिनांक: 13/02/12

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जगत गुरु शंकराचार्य शिक्षण महाविद्यालय, मिष्ट (07534-260539) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिविद्यम 1973 के परिविद्यम 27(10) के अल्पर्जत विभाग्नुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिविद्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, लाइसेंस शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अकार्डिनेट प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिवर्तन एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेस तथा प्रिष्ठने सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित हों। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देसी के लिए महाविद्यालय द्वारा उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह ने विरीक्षण बही कराता है तो समिति द्वारा निरस्त हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड द्वारा लगा दिया जाएगा। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिविद्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय द्वारा पत्रालीला लेकर जारी तथा महाविद्यालय द्वारा स्वतुष्टिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ए.ए. / डी.ए. / मानवयोग महाविद्यालय द्वारा देव होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि लाइसेंस के संयोजक से रांपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिनस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)